

दिनांक 30/5/2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर अ. सु. 2

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प अ. सु. 2

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुस्स्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कासीराम व भू.अ.नि. वगड

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार अ. सु. 2 /नायब तहसीलदार वगड की अनुशंसा के आधार

पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम वगड तहसील अ. सु. 2 व

जिला अ. सु. 2 की अमाबन्दी सम्बन्ध 2024-77 में खाता संख्या 114 में वर्तमान में

द्वारा प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>वगड</u>	<u>114</u>	<u>मोरेगलाल पुत्र किरानाराम</u>	<u>बाजरेगलाल पुत्र किरानाराम</u>

प्रभारी अधिकारी शिबिर
पीठासीन अधिकारी
(लोक अदालत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर

क्रमांक :- 73

दिनांक :- 30/5/22

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार अ. सु. 2 को भेजकर लेख कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाई।

2. प्रार्थी श्री बाजरेगलाल को सूचनाई।

3. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी शिबिर
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर